सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

...ायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः– श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 14/2019

बउनवानः–

1. चन्द्रकांता पत्नि हंसराज
2. किस्कन्दा पत्नि सत्यनारायण
3. जानकी बाई पत्नि उमाशंकर

} जाति मीणा निवासी उदपुरिया तहसील मांगरोल जिला बारां

....प्रार्थीयागण

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

वकील प्रार्थीः– श्री बुद्धि प्रकाश मालव

निर्णय दिनांक : 12.02.2019

दायरा दिनांकः 07.02.2019

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के अधिवक्ता श्री बुद्धि प्रकाश मालव ने जर्ये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत इस आशय का प्राप्त हुआ है कि प्रार्थीगण के खाते की भूमि ग्राम पीपल्दा पटवार क्षेत्र उदपुरिया तहसील मांगरोल में खाता संख्या 8 की खसरा नं0 236 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 238 रकबा 0.94 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.09 है0 स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थीयागण ने दिनांक 13.02.2003 को कमला बाई बेवा केसरीलाल जाति खाति निवासी उदपुरिया से कय की थी। ग्राम पीपल्दा की खसरा नं0 238 रकबा 0.94 है0 का वर्तमान नक्शा छोटा कर रकबा कम कर दिया गया है। वर्तमान नक्शा अनुसार प्रार्थीयागण की आराजी 0.84 है0 ही है जबकि प्रार्थीयागण की आराजी का रकबा 0.94 है0 है। जमाबंदी सम्वत 2015–2024 में उक्त आराजी सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नं0 216 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा दर्ज है जिसके नये खसरा नं0 236 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 238 रकबा 0.94 है0, खसरा नं0 239 रकबा 0.92 है0 बनाये गये। आराजी ग्राम पीपल्दा पटवार क्षेत्र उदपुरिया में खसरा नं0 238 रकबा 0.94 है0 नक्शा वर्तमान में छोटा कर 0.84 है0 कर दिया है जिसे दुरूस्त करवाने का प्रार्थीयागण अधिकारी है। अतः निवेदन है कि ग्राम पीपल्दा पटवार क्षेत्र उदपुरिया की आराजी खसरा नं0 238 का नक्शा दुरूस्त कर 0.94 है0 का कर दिया जावें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत होने पर प्रकरण अन्तर्गत भू0 राज0 अधि0 1956 की धारा 136 के तहत दिनांक 07.02.2019 को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) पैरोकार राजस्थान सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार

(लैण्ड होल्डर) पैरोकार सरकार ने दिनांक 11.02.2019 को उपस्थित होकर अपने पत्र /भू0अ0/2019/118 दिनांक 11.02.2019 से प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम पल्दा में खाता संख्या 8 में खसरा नं0 236 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 238 रकबा 0.94 है0 कुल 1.09 है0 भूमि चन्द्रकांता पत्नि हंसराज हि0 1/3 वगै0 के खाते दर्ज है। प्रार्थिया द्वारा आराजी खसरा नं0 238 रकबा 0.84 है0 दर्ज कर कमी रकबे की पूर्ति खसरा नं0 239 व खसरा नं0 240 से की जाकर नक्शा दुरूस्त किये जाने की रिपोर्ट चाही गयी। मौके पर खसरा नं0 238 का रकबा 0.84 है0 ही है तथा नक्शा का क्षेत्रफल भी 0.84 है0 ही दर्ज हैं। तथा प्रार्थी का मौके पर खसरा नं0 239 व 240 पर कब्जा है तथा मौके पर कब्जा बना हुआ है। हाल खसरा नं0 238 के साबिक खसरा नं0 216 से बने है। इस प्रकार साबिक खसरा नं0 216 का नक्शा व हाल खसरा नं0 238 के नक्शे में काफी रदोबदल कर नक्शा व रकबा कम कर दिया गया है। इस प्रकार प्रार्थी की कमी रकबे की पूर्ति हेतु खसरा नं0 238 का रकबा 0.84 है0 दर्ज कर तथा खसरा नं0 239 रकबा 0.92 है0 में से 0.06 है0 भूमि कम कर तथा खसरा नं0 240 रकबा 0. 67 है0 में से 0.04 है0 भूमि कम कर की जा सकती है। तथा खसरा नं0 239 व 240 का नक्शा दुरूस्त कर की जा सकती है।

हमारे द्वारा पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन व अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीयागण की दिनांक 12.02.2019 को एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीयागण ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यो का कथन किया है जिनका प्रार्थना पत्र में अंकन किया गया है। पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात, सुनी गयी बहस व तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीयागण की प्रार्थना स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीयागण कमशः चन्द्रकांता पत्नि हंसराज, किस्कन्दा पत्नि सत्यनारायण व जानकी बाई पत्नि उमाशंकर जाति मीणा निवासीगण उदपुरिया की कमी रकबे की पुर्ति ग्राम पीपल्दा तह0 मांगरोल की **आराजी खसरा नं0 238 रकबा 0.94 है0 में से रकबा 0.10 है0 कम कर खसरा नं0 238 का रकबा 0.84 है0** तथा खसरा नं0 239 रकबा 0.92 है0 में से 0.06 है0 कम करके खसरा नं0 239 का रकबा 0.86 है0 व खसरा नं0 240 रकबा 0.67 है0 में से रकबा 0.04 है0 कम कर खसरा नं0 240 का रकबा 0.63 है0 दर्ज करके **खसरा नं0 239 का उक्त कम किया गया रकबा 0.06 है0 व खसरा नं0 240 का उक्त कम किया गया रकबा 0.04 प्रार्थीयागण के खाते दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है** तदनुसार राजस्व नक्शे में दुरूस्ती किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार मांगरोल राजस्व रेकार्ड में अंकन कर पालना से अन्दर 15 योम में अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर शुमार से कम होकर दाखिल दफ्तर होवे।